## हरियाणा दिद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई०एरा)ओ० ९००१-२००० द्वारा प्रमाणित संस्थान)

सेवा में

प्रेषक:-सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

प्राचार्य, उज्जवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानिया जिला महेन्द्रगढ.

कमांक 12856 / र्म नियर सैकेण्डरी / सम्बद्धता / 2008-09

दिनांक:-22.09.08

महोत्य / महोदया

आपकी संस्था को सीनियर सैकेण्डरी कक्षा तक शिक्षा विमाग द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता इस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती

- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड /शिक्षा विभाग,हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायें । है:-1-
- संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की बोर्ड को उपलब्ध करवाएगीं। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं 2--दिया जायेगा।
- बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यकम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढता से पालन करेगी।
- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी, जिससे नकल / प्रतिरुपण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित 5-करने में पूर्ण सहयोग देगी।
- संस्था द्वारा हरियाणा ऐजुकेशन कोड की घारा 28 कम संख्या 1से 21 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जायेगी । 6-
- संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो।
- परीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिये समुचित प्रबन्ध करना होगा। 8-
- संस्था में पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्घ होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्घारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाए।
- बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कमी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। 10-

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी। यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक / विद्यालय / महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्ती का उल्लंका कर रहे हैं तो सम्बद्धता विनियमों के अर्न्तगत सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी।

भवदीय

manne

सहायक सचिव(सम्बद्धता) कृतेःसचिव